Gen. No. 13

धारा 6–ए प्रकरण सं0 18/2017 स्टेट बनाम 1–श्री श्याम कोशिक, मै0 पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड न0 39, श्रीगंगानगर 2–वाहन चालक/मालिक ऑटो रिक्शा आरजे 31 पीए 0884

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.06.2017

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रवीण सोनी उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा वाहन का मूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 03.02.2017 को श्री संदीप गोडत्र प्रवर्तन अधिकारी को मोबाईल पर शिकायत मिलने पर अशोक नगर "बी" वार्ड न0 39 श्रीगंगानगर स्थित उचित मूल्य दुकान मैसर्स पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पर जांच के लिए पहुंचे तो मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद मिली। दुकान के बाहर एक ऑटो रिक्शा पर चार प्लास्टिक के केन में नीला केरोसीन भरा हुआ लोगो ने पकड़ा हुआ था। जांच करने पर सभी 50 लीटर क्षमता के प्लास्टिक केन में कुल 200लीटर नीला केरोसीन भरा हुआ पाया गया। मौके पर ऑटो रिक्शा आरजे 31–पीए–0884 का मालिक/चालक मौजूद नही मिला। मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर उचित मूल्य दुकानदार श्री श्याम कोशिक के कर्मचारी द्वारा केरोसीन लोड़ करवाया गया है व उनके द्वारा ही उक्त ऑटो को रोककर श्याम कोशिक को भी बुलाया गया, जिस पर श्याम कोशिक आया और डीपो बंद करके मौके से निकल गया। मौके पर 200 लीटर केरोसीन प्राप्त करने का किसी व्यक्ति के पास कोई वैद्य अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नही मिले। इस प्रकार श्रीश्याम कोशिक संचालक, मैसर्स पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 200 लीटर नीला केरोसीन कालाबाजारी में विक्रय कर राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 5 10 व 17(सी) एवं वाहन चालक/मालिक द्वारा इस कार्य में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 8 की अवहेलना की है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्त शुद्धा उक्त वाहन मय 200 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः बाजार मूल्य अनुसार जुर्माना लगाया जावे जो अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लौटाया जा सकता है।**

इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 1–श्यामसुन्दर कोशिक उचित मूल्य दुकानदार के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी के डीपो में वार्ड न0 39–ए व 39–बी के दो डीपो संचालित होते है और उक्त दोनो डीपो का आवंटी अप्रार्थी सं0 1 ही है। अप्रार्थी को माह जनवरी में 310 लीटर केरोसीन दिनांक 15.01.2017 को मिला व पूर्व का स्टोरेज 765 लीटर केरोसीन था इस प्रकार अप्रार्थी के पास 1075 लीटर केरोसीन का इन्द्राज स्टॉक में था और वर्तमान में मात्र 55 लीटर केरोसीन स्टॉक में है तथा वार्ड न0 39बी का स्टॉक 1200 लीटर दिनांक 15.01.17 को प्रार्थी को मिला और 61 लीटर केरोसीन पूर्व का था जिसकी स्टेटमेंट भी साथ में शामिल की है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 03.02.17 को प्रवर्तन अधिकारी श्री संदीप गोड़ द्वारा किसी मोबाईल शिकायत पर अशोक नगर 'बी' वार्ड न0 39 पर ऑटो रिक्शा आरजे 31पीए 0884 जिस पर 200 लीटर नीला केरोसीन बताया है को जब्त करके चिमनलाल व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया गया है से अप्रार्थी का किसी प्रकार से कोई संबंध नही है और न ही किसी प्रकार की केरोसीन की कालाबाजारी से संबंध है, उसने कोई कानून की अवहेलना की है। इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे और उसके अनुज्ञापत्र बहाल किये जावे।

अप्रार्थी सं0 2 वाहन स्वामी के अभिभाषक श्री प्रवीण सोनी का कथन था कि अप्रार्थी सं0 2 प्रगट सिंह ऑटो रिक्शा आरजे 31पीए 0884 का मालिक है और दिनांक 03.02.17 को प्रवर्तन अधिकारी श्री संदीप गोड़ द्वारा किसी मोबाईल शिकायत पर अशोक नगर 'बी' वार्ड न0 39 श्रीगंगानगर पर ऑटो रिक्शा आरजे 31पीए 0884 पर 200 लीटर नीला केरोसीन होना बताकर जब्त कर चिमनलाल व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया जाना बताया है, उससे अप्रार्थी का कोई संबंध नही है। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी उक्त टैम्पू से अपनी जीविका उपार्जन करता है और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे उक्त ऑयल लोडिंग करवाया गया था और कहा गया कि सुखाडिया सर्किल पर वह मोटरसाईकिल पर आगे–आगे चल रहा है, प्राप्त करके आगे का पता बता देगा। अप्रार्थी को पता नही कि केनीयों में पदार्थ मिटटी तेल है या कोई डीजल पैट्रोल और यह भी पता नही कि लोड करवाने वाला व्यक्ति कौन था क्यों कि वह उन केनीयों को लेकर सुखाडिया सर्किल तक जा ही नही पाया था इसलिए अवगत करवाने में असमर्थ है। इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 03.02.2017 को श्री संदीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी को मोबाईल पर शिकायत मिलने पर अशोक नगर ''बी'' वार्ड न0 39 श्रीगंगानगर स्थित उचित मूल्य दुकान मैसर्स पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पर जांच के लिए पहुंचे तो मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद मिली। दुकान के बाहर एक ऑटो रिक्शा पर चार प्लास्टिक के केन में नीला केरोसीन भरा हुआ लोगो ने पकड़ा हुआ था। जांच करने पर सभी 50 लीटर क्षमता के प्लास्टिक केन में कुल 200लीटर नीला केरोसीन भरा हुआ पाया गया। मौके पर ऑटो रिक्शा आरजे 31–पीए–0884 का मालिक/चालक मौजूद नही मिला। **मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर उचित मूल्य दुकानदार श्री श्याम कोशिक के कर्मचारी द्वारा केरोसीन लोड़ करवाया गया है** व उनके द्वारा ही उक्त ऑटो को रोककर श्याम कोशिक को भी बुलाया गया, जिस पर श्याम कोशिक आया और डीपो बंद करके मौके से निकल गया। मौके पर 200 लीटर केरोसीन प्राप्त करने का किसी व्यक्ति के पास कोई वैद्य अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नही मिले। इस प्रकार श्रीश्याम कोशिक संचालक, मैसर्स पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 200 लीटर नीला केरोसीन कालाबाजारी में विक्रय कर राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 5 10 व 17(सी) एवं वाहन चालक/मालिक द्वारा इस कार्य में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 8 की अवहेलना की है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्त शुद्धा उक्त वाहन मय 200 लीटर नीला केरोसीन को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्वारा अवहेलना नही की है।

आवश्क वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

अप्रार्थी सं0 1 श्री श्याम कोशिक जो मै0 पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकानदार है और ऑटो रिक्शा नम्बर आरजे 31 पीए 0884 का मालिक प्रगट सिंह पुत्र इन्द्र सिंह है। उक्त वाहन में 200 लीटर नीला केरोसीन दिनांक 03.02.17 को प्रवर्तन अधिकारी श्री संदीप गोड़ द्वारा मोबईल पर मिली शिकायत की जांच पर फर्द जब्ती के अनुसार 4 प्लास्टिक केन व एक ऑटो रिक्शा जो मै0 पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 39बी के सामने से जब्त किया है जिसके संबंध में **वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 2** ने अपने जबाब के बिन्दु सं0 2 व 3 में निम्न प्रकार स्वीकार किया है:–

2. यह कि प्रार्थी द्वारा टैम्पू से अपनी जीविका उपार्जन की जाती है और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को ऑयल लॉडिंग करवाया गया था और कहा गया था कि सुखाडिया सर्किल पर वह मोटर साईकिल पर आगे आगे चल रहा है प्राप्त करके आगे का पता बता देगा।

3. यह कि प्रार्थी को कतई नही पता कि कैन में पदार्थ मिट्टी तेल है या कोई डीजल पैट्रोल, और यह भी नही पता की लोड करवाने वाला व्यक्ति कौन था क्योंकि वह उस कैन को लेकर सुखाडिया सर्किल तक जा नही पाया। इसलिए अवगत करवाने में असमर्थ है। किन्तु मात्र निवेदन यह करता है टैम्पू उसके रोजगार का साधन है जो कि सीज होने सेरोजगार बंद हो गया है घर व परिवार अत्यंत गरीबी में विषम परिस्थिति में आ गया है। प्रार्थी को टैम्पू युक्ति युक्त जमानत पर रिलीज करके दिया जावे ताकि प्रार्थी अपना रोजगार चला सके।

वाहन मालिक प्रगट सिंह अप्रार्थी सं0 2 के उक्त जबाब से यह स्पष्ट होता है कि 200 लीटर नीला केरोसीन उसके टैम्पू न0 आरजे 31पीए 0884 पर से जब्त किया गया है। उक्त वाहन मालिक प्रगट सिंह ने उक्त 200 लीटर नीला केरोसीन को अपने उक्त वाहन में कब्जे में रखने और परिवहन, क्रय–विक्रय करने के संबंध ऐसा कोई **वैद्य अनुज्ञापत्र या दस्तावेज इस न्यायालय में सुनवाई के दौरान या जांच के दौरान पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त जब्त शुदा 200 लीटर नीला केरोसीन जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो कि राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओ को वितरण के लिए है,** को उसे अपनी अधिकारिता में रखने या क्रय विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार हो। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 2 नीले केरोसीन की कालाबाजारी में लिप्त है।

जिला कलेक्टर

इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 श्री श्याम कोशिक जो कि मै0 पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकानदार है और फर्द जब्ती के अनुसार आकाश खन्ना व हरविन्द्रसिंह ने जांच के दौरान बताया कि अप्रार्थी सं0 1 श्री श्याम कोशिक उचित मूल्य दुकानदार की दुकान के आगे 200 लीटर नीला केरोसीन उक्त उचित मूल्य दुकान के कर्मचारी के द्वारा ही टैम्पू में रखवाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त दोनो अप्रार्थीगण नीले केरोसीन के अवैद्य कारोबार में लिप्त है। श्री श्याम कोशिक जो कि उचित मूल्य दुकानदार है, ने राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 5, 10 व 17(सी) की अवहेलना है एवं अप्रार्थी सं0 2 श्री प्रगट वाहन चालक/ मालिक ने इस कार्य में सहयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 8 की अवहेलना की है। इसलिए जब्त शुदा उक्त वाहन एवं केरोसीन राजसात करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण से जब्त शुदा 200 लीटर नीला केरोसीन मय 4 प्लास्टिक केन एवं ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 31पीए 0884 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6–2–2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में जब्ती की दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** विभागीय प्रतिनिधि द्वारा जब्त शुद्धा उक्त वाहन ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 31पीए 0884 का अनुमानित बाजार मूल्य 28,000रूपये (अखरे अठाईस हजार रूपये) बताया गया है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 वाहन मालिक प्रगट सिंह का वाहन नीले केरोसीन के अवैद्य परिवहन, भण्डारण एवं कालाबाजारी में लिप्त होना पाया गया है। इसलिए उस पर वाहन के बाजार मूल्य 28,000रूपये की एवज में 20,000रूपये (अखरे बीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि 20,000रूपये जब्त शुदा केरोसीन के विक्रय की राशि 3600रूपये के अतिरिक्त है। यदि अप्रार्थी प्रगट सिंह उक्त जुर्माना राशि 20,000रूपये अदा कर दे तो उक्त राजसात किया वाहन उसे नियमानुसार सौंप दिया जावे। अप्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन का राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। जब्त शुद्धा 200 लीटर नीले केरोसीन के अन्तरिम निस्तारण का आदेश दिनांक 06.03.2017 को जिला रसद अधिकारी को दिये हुए है। जिला रसद अधिकारी उक्त 200 लीटर केरोसीन की विक्रय राशि 3600रूपये को अब स्थाई रूप से राज्यपक्ष में राजकोष में जमा करवावे एवं 4 प्लास्टिक केन का नियमानुसार राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1363/28/17

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर